कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि और सहकारिता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2449.34	333.43	2782.77	2619.54	330.82	2950.36	3956.98	374.92	4331.90
पूंजी		*220.66*	*10.57*	*231.23*	*345.46*	*0.68*	*346.14*	*252.34*	*5.59*	*257.93*
जोड़		**2670.00**	**344.00**	**3014.00**	**2965.00**	**331.50**	**3296.50**	**4209.32**	**380.51**	**4589.83**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	5.26	26.11	31.37	5.36	28.34	33.70	8.00	29.92	37.92
कृषि कार्य										
2. बीज	3601	4.97	...	4.97	4.82	...	4.82	9.03	...	9.03
	3602	...	...	...	0.15	...	0.15	0.54	...	0.54
	2401	39.15	...	39.15	26.66	42.09	68.75	76.04	...	76.04
	4401	0.85	...	0.85	1.14	...	1.14	1.00	...	1.00
	जोड़	*44.97*	*...*	*44.97*	*32.77*	*42.09*	*74.86*	*86.61*	*...*	*86.61*
खाद्यान्न फसलें										
3. त्वरित अनाज विकास कार्यक्रम-मक्का	2401	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00
4. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	2401	...	0.70	0.70	...	0.67	0.67	...	0.86	0.86
जोड़-खाद्यान्न फसलें		**1.50**	**0.70**	**2.20**	**1.50**	**0.67**	**2.17**	**1.00**	**0.86**	**1.86**
5. दालों का विकास	2401	...	0.49	0.49	...	0.31	0.31	...	0.53	0.53
6. खाद और उर्वरक										
6.01 जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	2401	1.98	...	1.98	1.01	...	1.01	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4401	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*2.23*	*...*	*2.23*	*1.51*	*...*	*1.51*	*...*	*...*	*...*
6.02 अन्य कार्यक्रम	2401	34.04	...	34.04	5.63	...	5.63	25.80	...	25.80
	3601	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.15	...	0.15
	4401	0.43	...	0.43	0.13	...	0.13	0.55	...	0.55
	जोड़	*34.50*	*...*	*34.50*	*5.79*	*...*	*5.79*	*26.50*	*...*	*26.50*
जोड़-खाद और उर्वरक		**36.73**	**...**	**36.73**	**7.30**	**...**	**7.30**	**26.50**	**...**	**26.50**
7. पौध संरक्षण	3601	4.92	...	4.92	6.30	...	6.30	1.41	...	1.41
	2401	39.82	14.72	54.54	26.07	15.02	41.09	29.11	16.99	46.10
	4401	6.05	...	6.05	3.50	...	3.50	5.41	...	5.41
	जोड़	*50.79*	*14.72*	*65.51*	*35.87*	*15.02*	*50.89*	*35.93*	*16.99*	*52.92*
वाणिज्य फसलें										
8. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	2401	...	0.62	0.62	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61
9. राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	2401	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
10. गहन कपास विकास कार्यक्रम/ कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन	3601	29.42	...	29.42	40.65	...	40.65	44.25	...	44.25
	2401	10.83	0.52	11.35	9.10	0.49	9.59	5.25	0.53	5.78
	जोड़	*40.25*	*0.52*	*40.77*	*49.75*	*0.49*	*50.24*	*49.50*	*0.53*	*50.03*
11. टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम										
11.01 टीएमओपी सहित फसल-पश्च प्रौद्योगिकी	2401	17.75	...	17.75	17.75	...	17.75	...	...	...
11.02 तिलहन, ऑयलपाम, दाल तथा मक्का का समेकित विकास	2401	45.95	...	45.95	70.95	...	70.95	60.00	...	60.00
	3601	105.60	...	105.60	180.60	...	180.60	178.75	...	178.75
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*151.55*	*...*	*151.55*	*251.55*	*...*	*251.55*	*238.75*	*...*	*238.75*
11.03 पेड़ों से मिलने वाले तिलहन	2401	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00
जोड़-टीएमओपी के अन्य कार्यक्रम	*जोड़*	*185.30*	*...*	*185.30*	*285.30*	*...*	*285.30*	*254.75*	*...*	*254.75*
12. जल प्रबंध	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2401	49.75	...	49.75	...	...	...	22.50	...	22.50
	जोड़	*49.75*	*...*	*49.75*	*...*	*...*	*...*	*22.50*	*...*	*22.50*
13. जल संभरण विकास परिषद	2401	2.00	...	2.00	1.15	...	1.15	1.25	...	1.25

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14. शुष्क खेती/वर्षापोषित कृषि प्रणाली को बनाए रखना	2401	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	3601	...	...	...	...	...	...	195.00	...	195.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*200.00*	*...*	*200.00*
15. अन्य वाणिज्यिक फसलें	2401	...	1.44	1.44	...	1.43	1.43	...	1.57	1.57
जोड़-वाणिज्यिक फसलें		**281.30**	**2.58**	**283.88**	**336.20**	**2.53**	**338.73**	**528.00**	**2.71**	**530.71**
16. बागवानी और सब्जी फसलें	3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
	2401	381.53	1.34	382.87	155.80	1.40	157.20	175.00	1.61	176.61
	जोड़	*381.73*	*1.34*	*383.07*	*156.00*	*1.40*	*157.40*	*175.00*	*1.61*	*176.61*
17. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401	...	...	...	...	...	...	630.00	...	630.00
18. लघु कृषि	2401	...	...	...	...	...	...	350.00	...	350.00
19. विस्तार और प्रशिक्षण	2401	53.05	5.81	58.86	35.09	5.99	41.08	16.85	6.70	23.55
	3601	36.70	...	36.70	24.70	...	24.70	39.00	...	39.00
	3602	6.39	...	6.39	3.20	...	3.20	7.00	...	7.00
	4401	0.50	...	0.50	1.96	...	1.96	0.50	...	0.50
	जोड़	*96.64*	*5.81*	*102.45*	*64.95*	*5.99*	*70.94*	*63.35*	*6.70*	*70.05*
20. फसल बीमा-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए भारतीय साधारण बीमा कम्पनी को भुगतान	2401	350.00	...	350.00	540.65	...	540.65	549.00	...	549.00
21. फार्म आय बीमा परियोजना (एफ.आई.आई.पी.)	2401	...	32.00	32.00	...	10.56	10.56	...	1.00	1.00
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी										
22. कृषि गणना	2401	4.30	...	4.30	4.30	...	4.30	3.20	...	3.20
	3601	7.85	...	7.85	7.85	...	7.85	9.15	...	9.15
	3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.25	...	0.25
	जोड़	*12.45*	*...*	*12.45*	*12.45*	*...*	*12.45*	*12.60*	*...*	*12.60*
23. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं										
23.01 अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय	2401	...	6.89	6.89	...	6.86	6.86	...	7.04	7.04
23.02 मुख्य फसलों की खेती तथा उत्पादन लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना	2401	13.80	...	13.80	16.75	...	16.75	16.13	...	16.13
23.03 कृषि संबंधी सांख्यिकी में सुधार	2401	0.06	...	0.06	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
	3601	23.88	...	23.88	21.52	...	21.52	22.86	...	22.86
	3602	0.12	...	0.12	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
	जोड़	*24.06*	*...*	*24.06*	*21.65*	*...*	*21.65*	*23.00*	*...*	*23.00*
23.04 अन्य कार्यक्रम	2401	17.79	8.21	26.00	17.10	2.24	19.34	19.54	2.31	21.85
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं		*55.65*	*15.10*	*70.75*	*55.50*	*9.10*	*64.60*	*58.67*	*9.35*	*68.02*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी		**68.10**	**15.10**	**83.20**	**67.95**	**9.10**	**77.05**	**71.27**	**9.35**	**80.62**
24. कृषि इंजीनियरिंग	2401	2.30	5.14	7.44	2.45	5.16	7.61	2.90	5.90	8.80
	3601	0.80	...	0.80	2.15	...	2.15	3.20	...	3.20
	4401	4.90	0.57	5.47	4.90	0.68	5.58	2.90	0.59	3.49
	जोड़	*8.00*	*5.71*	*13.71*	*9.50*	*5.84*	*15.34*	*9.00*	*6.49*	*15.49*
25. बाजार हस्तक्षेप प्रचालन योजना/मूल्य समर्थन के लिए नेफेड को अनुदान	2401	...	192.53	192.53	...	171.88	171.88	...	260.00	260.00
26. सरकारी उद्यमों में निवेश	6401	4.68	10.00	14.68	0.68	...	0.68	1.00	5.00	6.00
27. फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
27.01 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2401	...	11.62	11.62	...	12.04	12.04	...	11.97	11.97
27.02 अन्य कार्यक्रम	2401	94.72	...	94.72	63.41	...	63.41	88.00	...	88.00
	3601	19.00	...	19.00	7.26	...	7.26	19.00	...	19.00
	जोड़	*113.72*	*...*	*113.72*	*70.67*	*...*	*70.67*	*107.00*	*...*	*107.00*
जोड़-कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम		*113.72*	*11.62*	*125.34*	*70.67*	*12.04*	*82.71*	*107.00*	*11.97*	*118.97*
जोड़-फसल कार्य		**1438.16**	**292.60**	**1730.76**	**1324.04**	**277.43**	**1601.47**	**2633.66**	**323.21**	**2956.87**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
अन्य कृषि कार्यक्रम										
28. अन्य प्रशासनिक सेवाएं – कीटनाशी अधिनियम का कार्यान्वयन	2070	1.55	4.50	6.05	4.02	4.72	8.74	3.07	5.21	8.28
29. कृषि विपणन	2435	155.22	19.14	174.36	113.21	19.36	132.57	162.90	20.47	183.37
	3601	0.25	...	0.25	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
	4435	0.05	...	0.05	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	*155.52*	*19.14*	*174.66*	*114.11*	*19.36*	*133.47*	*164.00*	*20.47*	*184.47*
जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम		**157.07**	**23.64**	**180.71**	**118.13**	**24.08**	**142.21**	**167.07**	**25.68**	**192.75**
मृदा और जल संरक्षण										
30. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र और बाढ़ प्रवण क्षेत्र में मृदा-संरक्षण	2402	...	0.32	0.32	...	0.32	0.32	...	0.35	0.35
31. अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं										
31.01 अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण तथा मृदा सर्वेक्षण के लिए दूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग	2402	7.35	1.33	8.68	6.50	1.33	7.83	7.65	1.35	9.00
	4402	1.15	...	1.15	...	...	...	0.35	...	0.35
	जोड़	*8.50*	*1.33*	*9.83*	*6.50*	*1.33*	*7.83*	*8.00*	*1.35*	*9.35*
31.02 राष्ट्रीय भूमि संसाधन आयोग/बोर्ड	2402	0.90	...	0.90	0.40	...	0.40	...	...	...
जोड़- अन्य मृदा और जल संरक्षण योजनाएं		**9.40**	**1.33**	**10.73**	**6.90**	**1.33**	**8.23**	**8.00**	**1.35**	**9.35**
राज्य आयोजना										
32. झूम कृषि का नियंत्रण	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
जोड़-राज्य आयोजना		**20.00**	**...**	**20.00**	**20.00**	**...**	**20.00**	**30.00**	**...**	**30.00**
जोड़-मृदा और जल संरक्षण		**29.40**	**1.65**	**31.05**	**26.90**	**1.65**	**28.55**	**38.00**	**1.70**	**39.70**
सहकारिता										
33. शिक्षा और प्रशिक्षण	2425	40.57	...	40.57	40.57	...	40.57	67.50	...	67.50
34. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम										
34.01 भांडागार और सहकारी विपणन समितियां	2425	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	1.00	...	1.00
34.02 सहकारी कताई मिलों में पूंजी की भागीदारी	2425	1.80	...	1.80	5.80	...	5.80	1.00	...	1.00
34.03 सहकारिता विकास हेतु एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता	2425	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	35.00	...	35.00
जोड़-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम		*15.30*	*...*	*15.30*	*15.30*	*...*	*15.30*	*37.00*	*...*	*37.00*
35. राज्य भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	6425	60.00	...	60.00	91.46	...	91.46	57.00	...	57.00
36. अन्य कार्यक्रम-सहकारिता और ऋण	2425	11.80	...	11.80	11.87	...	11.87	1.00	...	1.00
जोड़-सहकारिता		**127.67**	**...**	**127.67**	**159.20**	**...**	**159.20**	**162.50**	**...**	**162.50**
37. कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों की वृद्धि/सराहना (वृहद् प्रबंधन)	2401	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00
	2402	1.96	...	1.96	1.96	...	1.96	...	...	...
	3601	488.68	...	488.68	775.96	...	775.96	596.07	...	596.07
	3602	2.50	...	2.50	0.80	...	0.80	1.60	...	1.60
	6402	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95	...	...	...
	7601	122.00	...	122.00	216.00	...	216.00	149.02	...	149.02
	7602	0.35	...	0.35	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40
	जोड़	*647.44*	*...*	*647.44*	*1036.87*	*...*	*1036.87*	*782.09*	*...*	*782.09*
38. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	247.50	...	247.50	271.46	...	271.46	383.89	...	383.89
	4552	17.50	...	17.50	23.04	...	23.04	34.11	...	34.11
	जोड़	*265.00*	*...*	*265.00*	*294.50*	*...*	*294.50*	*418.00*	*...*	*418.00*
कुल जोड़		***2670.00***	***344.00***	***3014.00***	***2965.00***	***331.50***	***3296.50***	***4209.32***	***380.51***	***4589.83***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
26.01 राष्ट्रीय बीज निगम	12401	4.00	...	4.00	...	...	...	0.30	...	0.30
26.02 दामोदर घाटी निगम	12402	1.95	...	1.95	1.95	...	1.95	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
26.03 स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया	12401	0.68	...	0.68	0.68	...	0.68	0.70	...	0.70
26.04 भूमि विकास बैंक	12425	60.00	...	60.00	91.46	...	91.46	57.00	...	57.00
जोड़		**66.63**	**...**	**66.63**	**94.09**	**...**	**94.09**	**58.00**	**...**	**58.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजना										
1. फसल कार्य	12401	2081.69	...	2081.69	2357.00	...	2357.00	3415.75	...	3415.75
2. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	155.52	...	155.52	114.11	...	114.11	164.00	...	164.00
3. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	5.26	...	5.26	5.36	...	5.36	8.00	...	8.00
4. अन्य प्रशासनिक कार्य	32070	1.55	...	1.55	4.02	...	4.02	3.07	...	3.07
5. मृदा और जल संरक्षण	12402	13.31	...	13.31	10.81	...	10.81	8.00	...	8.00
6. सहकारिता	12425	127.67	...	127.67	159.20	...	159.20	162.50	...	162.50
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	265.00	...	265.00	294.50	...	294.50	418.00	...	418.00
	जोड़	*2650.00*	*...*	*2650.00*	*2945.00*	*...*	*2945.00*	*4179.32*	*...*	*4179.32*
राज्य आयोजना										
1. झूम कृषि का नियंत्रण	43601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
जोड़		**2670.00**	**...**	**2670.00**	**2965.00**	**...**	**2965.00**	**4209.32**	**...**	**4209.32**

1. यह प्रावधान कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, परामर्शदाता (कृषि), भारतीय दूतावास, रोम और तिलहन और दालों पर प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्यालय के व्यय से संबंधित है। इसमें ऋण आयोजना और अनुवीक्षण तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विकास, राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड पर होने वाला स्थापना संबद्ध व्यय भी शामिल है।

2. इसमें कृषक अधिकार विधान वाले पौधों की किस्मों के संरक्षण का क्रियान्वयन और दो पुनर्संरचित स्कीमों का प्रावधान शामिल है (i) गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण तथा (ii) एनएससी/एसएफसीआई की पुनर्संरचना हेतु (बीज पर परिवहन सब्सिडी, बीज फसल बीमा, बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण की मौजूदा स्कीमों के स्थान पर), बीज का गुणवत्ता प्रबंध तथा पुनर्संरचना हेतु एसएफसीआई/एनएससी को अनुदान। मौजूदा स्कीमों और पुनर्संरचित स्कीमों दोनों में प्रावधान रखा गया है।

3. इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से मिशन दृष्टिकोण आधार पर मक्के की उत्पादकता को बढ़ाना है। पूरा प्रावधान ईएपी संघटक के लिए है।

4. यह प्रावधान चावल और बाजरा निदेशालयों से सम्बद्ध विकास कार्यक्रमों के लिए है।

5. यह प्रावधान आयोजना-भिन्न के अंतर्गत दाल विकास निदेशालय के लिए है।

6. यह प्रावधान केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण और आर्गेनिक खेती के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना पर व्यय के लिए है।

7. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन, भारत में वनस्पति संगरोध सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, और राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की मानीटरी के लिए की गई है।

8. यह प्रावधान गैर-योजना के अंतर्गत तिलहन विकास निदेशालय के लिए है।

10. यह प्रावधान मुख्यतः शुरुआती प्रदर्शन आयोजित करने और संकर बीजों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. को अनुदान-सहायता देने के लिए है।

11. यह व्यवस्था एकीकृत तिलहन, ताड़ के तेल, दालों और मक्का का विकास, और वृक्ष से प्राप्त तिलहन के लिए है।

12. इस योजना के अधीन पम्प सेटों सहित शेडों, ट्यूबवैलों के निर्माण, लिफ्ट-सिंचाई स्थलों और अलग-अलग किसानों/किसानों के समूह को विद्युत/डीजल पम्प सेटों के लिए सहायता दी गई है।

13. यह व्यवस्था जल-संभर विकास परिषद के लिए है जिसका गठन विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समग्र जिम्मेदारी के साथ किया गया था।

14. देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए बारानी कृषि और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता का विकास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्षा के पानी के संचयन, जल संरक्षण, जल के कारगर उपयोग, विशेषतः जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में, पर जोर देना प्रस्तावित है।

15. यह व्यवस्था वाणिज्यिक फसलों के विकास कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी विभिन्न निदेशालयों पर व्यय करने के लिए की गई है।

16. यह प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड, मानव संसाधन विकास, बागवानी संबंधी पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्र विकास, बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन और दो निदेशालयों (काजू और मसाले) के लिए प्रावधान है। इसमें बांस प्रौद्योगिकी तथा व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन के लिए व्यवस्था है।

17. फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों आदि की खेती में उत्साहवर्धक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए इनके उत्पादन को दुगुना करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की जा रही है। इस का उद्देश्य स्वर्ण क्रांति को बनाये रखते हुए बागवानी उत्पादन को बनाए रखना, और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

18. 8वीं योजना के दौरान, कृषि में ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के साथ प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए इस योजना के तहत सरकार ने लघु सिंचाई विकास पर जोर दिया था। इस प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की दृष्टि से लघु-सिंचाई योजना शुरु की गई है।

19. इसमें विदेशी सहायता प्राप्त दो योजनाओं - राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना तथा खाद्य सुरक्षा से संबंद्ध यूएनडीपी परियोजना, केन्द्रीय संस्थाओं/डीओई से संबंद्ध विस्तार सहायता तथा राज्य विस्तार कार्यक्रम की सहायता प्रदान करना सम्बन्धी दो पुनर्संरचित योजनाओं हेतु प्रावधान है।

20. यह व्यवस्था "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" के लिए है जिसे कृषकों, फसलों तथा जोखिम के कवरेज को बढ़ाने के लिए खरीफ मौसम 1999 से कार्यान्वित किया गया है। यह योजना "क्षेत्र दृष्टकोण" के आधार पर संचालित की जाती है और प्रत्येक भागीदार राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से यह अपेक्षा है कि वे तीन वर्षों की समायवधि में बीमा के इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुंचे।

सं.1 / कृषि और सहकारिता विभाग

21. यह प्रावधान फार्म आय बीमा योजना पर प्रायोगिक परियोजना के लिए है। कृषक की आय के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य संघटकों अर्थात् एकल नीति उपाय के माध्यम से उपज तथा कीमत को लक्ष्य बनाने के लिए इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है।

22. यह प्रावधान कृषि गणना को निष्पादित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रचालानात्मक जोतों की संरचना तथा नीति के निमित्त आवश्यक अन्य मामलों पर आंकड़े प्राप्त करना है।

23. यह व्यवस्था मुख्यतः प्रमुख फसलों की खेती की लागत, कृषि-अर्थवयवस्था अनुसंधान संबंधी क्षेत्रीय केंद्रों, कृषि सांख्यिकी और कृषि नीति को मजबूत करने और कृषि के नियोजन और प्रबंध, प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घकालिक यंत्रीकरण नीति के निर्माण, मौजूदा स्कीमों के लिए है। यह व्यवस्था अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मौसम और भू-आधारित अवलोकन का उपयोग करते हुए कृषि उपज की भविष्यवाणी और कृषि सांख्यिकी में सुधार के लिए भी है।

24. यह व्यवस्था फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थानों के लिए है। ये संस्थान प्रगतिशील कृषकों, तकनीशयनों, राज्य सरकारों के नामितों और कृषि उद्योग निगमों, कृषि संस्थानों और इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था में कृषकों के खेतों पर बागवानी उपस्करों के साथ ही नए विकसित कृषि उपस्करों का प्रदर्शन भी शामिल है।

25. मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप संबंधी उपाय किसानों को लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए है। नैफेड ऐसे प्रचालनों को करने के लिए केन्द्रीय नामोदिष्ट एजेंसी है।

26. यह व्यवस्था सरकारी क्षेत्र उपक्रमों नामतः भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए है।

27. इसमें खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम को अंशदान शामिल है। इस व्यवस्था में आपदा प्रबंध कार्यक्रम पर होने वाला व्यय, कृषि-कारोबार, कृषि क्लिनिकों, कृषि सूचना प्रणालियों की मजबूती/प्रोत्साहन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कृषि एवं सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, डीएसी (मुख्यालय) में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, फील्ड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण का सुदृढ़ीकरण, कृषि सूचना तंत्र और संचार का विकास, कृषि संसाधन सूचना प्रणाली) के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

28. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन तथा क्रियान्वयन संबंधी व्यय के लिए है।

29. यह व्यवस्था एगमार्क ग्रेडिंग और निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूती देने, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, विपणन सूचना नेटवर्क, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थानों को सहायता, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, बाजार अवसंरचना का विकास, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए है।

30. यह व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अनुदान के लिए की गई है।

31. यह व्यवस्था अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए की गई है।

32. इस व्यवस्था में झूम खेती से संबद्ध राज्य आयोजना स्कीमों के लिए केंद्रीय सहायता शामिल है।

33. यह प्रावधान सहकारी समितियों के सदस्यों को सहकारी समितियों के लाभ के बारे में और जागरूक बनाने के लिए, सदस्यों के लिए शिक्षा और राज्यों के सहकारिता विभागों/सहकारी संस्थानों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए है।

34. यह व्यवस्था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहकारी तौर पर अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी कताई मिलों, सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यक्रम के लिए है। यह व्यवस्था सहकारिता विकास हेतु एनसीडीसी को सहायता देने की एक पुनर्संरचित स्कीम के लिए भी की गई है।

35. यह योजना लघु सिंचाई, भूमि विकास, फार्म यंत्रीकरण, आदि के क्षेत्र में विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कृषकों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने के लिए है।

36. यह व्यवस्था चुनिंदा जिलों में राष्ट्रीय सहकारी संघों और एकीकृत सहकारी विकास को सहायता प्रदान करने के लिए है।

37. अभी तक राज्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैमाने/विषयवस्तु के अनुसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जाती थी। समझौता ज्ञापन आधार पर केन्द्र - प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करने के लिए 27 चालू स्कीमों को एकीकृत करके "कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों की वृद्धि/सराहना" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इसने वर्ष 2000-01 से प्रचालन प्रारंभ किया।

38. यह व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ की स्कीमों के लिए है।